बाबूलाल वगैरह बनाम सुलतान वगैरह

मुकदमा दर्ज नं० 45 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29-5-2015 वादी बाबूलाल व बनेसिंह ने दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम विदरखा की भूमि ख० नं० $\frac{1422}{1528}$, 1423, 1424, $\frac{1425}{1529}$, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1446, 1447, 1448, 1449, $\frac{1449}{1530}$, 1450, $\frac{1451}{1531}$, $\frac{1453}{1532}$, 1434, 1443, कुल किता 19 कुल रकबा 3.91 है० ग्राम विदरखा में स्थित है जिसमें वादीगण का $\frac{1}{3}$ हिस्सा तथा प्रतिवादी सुलतान का $\frac{2}{3}$ हिस्सा दर्ज है जो गलत है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादी का $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{3}$ हिस्से पर कब्जाकाश्त है तथा वादीगण भी व प्रतिवादी भी $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{3}$ हिस्सा दर्ज कराने को सहमत है। अतः इसी अनुसार पक्षकारों का उपरोक्त भूमि में $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{3}$ हिस्सा दर्ज करने का वादीगण ने निवेदन किया है। वादीगण ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सं० 2069 से 2072 ग्राम विदरखा पेश की है। इस जमाबंदी में वादीगण का $\frac{1}{3}$ हिस्सा तथा प्रतिवादी सुलतान का $\frac{2}{3}$ हिस्सा दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी ने एक राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का $\frac{1}{3}$ हिस्सा तथा प्रतिवादी का $\frac{2}{3}$ हिस्सा गलत दर्ज हो रहा है। हमारा तीनो भाईयों का $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{3}$ हिस्सा है तथा इसी अनुसार पक्षकारों का मौके पर कब्जा काश्त है। उपरोक्त भूमि में तीनों भाईयों का $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{3}$ हिस्सा दर्ज करदेवें।	नि० बाबूलाल नि० बने नि० सुलतान

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए
	लोक अदालत मे उपस्थित जन समुदाय से पक्षकारों के भूमि मे हिस्से के बारे में जानकारी चाही गई तो उपस्थित लोगो ने तीनो पक्षकारों का आपस मे सगे भाई होना व तीनो का वादग्रस्त भूमि मे समान हिस्सा होना बताया। अतः प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख० नं० 1422/1528, 1423, 1424, 1425/1529, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1434, 1443, 1446, 1447, 1448, 1449, 1449/1530, 1450, 1451/1531, 1453/1532 कुल किता 19 कुल रकबा 3.91 है० ग्राम बिदरखा मे वादीगण व प्रतिवादी सुल्तान का 1/3 - 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरुस्ती का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] [signature] (गंगाप्रसाद गुप्ता Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी [signature] (रविकुमार शर्मा Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी [signature] (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प वाढकलां	

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प बाढकलां

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति हिन्दू बंजारा निवासी धूधूपुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. बनेसिंह पुत्र लक्ष्मण जाति हिन्दू बंजारा निवासी धूधूपुरा तहसील गंगापुर सिटी ---वादीगण

बनाम

1. सुलतान पुत्र लक्ष्मण जाति हिन्दू बंजारा निवासी धूधूपुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. – 45/2015

वादीगण की ओर से वादी बाबूलाल, बनेसिंह की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी सुलतान की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 29.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार ग्राम विदरखा के ख0नं0 1422/1528, 1423, 1424, 1425/1529, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1434, 1443, 1446, 1447, 1448, 1449, 1449/1530, 1450, 1451/1531, 1453/1532 कुल रकबा 3.91 हैक्टर में वादी बाबूलाल का 1/3 हिस्सा, वादी बनेसिंह का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सुलतान का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 29.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— बाढ़कलाँ

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 29-5-2015

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,,

S.D.O. साहब गंगापुर सिटी बाबूलाल बनाम सुल्तान वगैरा

प्रकरण संख्या :— ....अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री बाबूलाल, बनेसिंह पुत्रगण लक्ष्मण, बंजारा निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :—

ग्राम विदरखा की भूमि खसरा नं० 1422/1528, 1423, 1424, 1425/1529, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1434, 1443, 1446, 1447, 1448, 1449, 1449/1530, 1450, 1451/1531, 1453/1532 कुल रकबा 3.91 हे० में वादीगण बाबूलाल, बनेसिंह का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सुल्तान का 1/3 हिस्सा दर्ज है जो गलत दर्ज हो रहा है हमारा तीनो भाईयो का 1/3 - 1/3 हिस्सा होना चाहिए तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है। अतः उपरोक्त भूमि मे हम तीनो भाईयो का 1/3 - 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष
1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण बंजारा, धूधूपुरा — नि० बाबूलाल
2. ....
3. बनेसिंह पुत्र लक्ष्मण बंजारा, धूधूपुरा — नि० बनेसिंह
4. ....

प्रतिवादी पक्ष
1. नि० सुल्तान — सुल्तान पुत्र लक्ष्मण
2. बंजारा, धूधूपुरा
3. ....
4. ....

(वादी / प्रार्थी पक्ष) पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
नाम प्रधानाचार्य

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(प्रतिवादी पक्ष) नाम प्रधानाचार्य

गुड्डी सरपंच ग्राम पंचायत बाढ़कलाँ पं०स० गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाढ़कलां गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रार्थी / वादी बाबूलाल, बनेसिंह एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी सुल्तान द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

बाबूलाल ....

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

रवि कुमार शर्मा एड०
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत एवं
उप जिला कलेक्टर